



यू० पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538

ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002

पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com

परिपत्र संख्या : 2016-19/87/2017

दिनांक : 27.09.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

समूह मेडीकल बीमा योजना

हमने अपने विगत परिपत्रों के माध्यम से कर्मचारियों/सेवानिवृत्तों के लिए समूह मेडीकल बीमा योजना के अगले वर्ष के लिए नवीनीकरण, इससे सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों तथा योजना के कार्यान्वयन में कर्मचारियों/सेवानिवृत्तों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के विषय में अवगत कराया था। एआईबीईए ने सम्बन्धित समस्याओं को आईबीए के साथ उठाया था तथा अब आईबीए ने यूआईआईसी, टीपीए आदि के साथ 6 अक्टूबर को एक बैठक के लिए यूएफबीयू को बुलाया है। इस विषय में हम एआईबीईए के परिपत्र पत्र संख्या 28/38/2017/38 दिनांक 27.9.2017 का अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान के लिए नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

समूह मेडीकल बीमा योजना

हमने पहले ही सूचित किया है कि कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए समूह मेडीकल बीमा योजना के तहत पॉलिसी को अगले वर्ष अक्टूबर 2017-सितम्बर 2018 के लिए नवीनीकृत किया जा रहा है तथा बैंकों द्वारा देय प्रीमियम में कोई परिवर्तन नहीं है।

सेवानिवृत्तों के लिए, वे जो योजना (घरेलू उपचार के बिना) द्वारा शामिल हैं, नवम्बर 17-अक्टूबर 18 की अवधि के लिए देय प्रीमियम में कोई परिवर्तन नहीं है। उनके लिए जो घरेलू उपचार लाभ के साथ शामिल हैं, उच्चतर दावों और आईसीआर की उच्चतर दर के मद्देनजर प्रीमियम में वृद्धि की गई है।

इसके अलावा, यूआईआईसी ने सेवानिवृत्तों (कामगारों) के लिए रू० 4 लाख और सेवानिवृत्त (अधिकारियों) के लिए रू० 5 लाख की अतिरिक्त टॉप अप पॉलिसी क्रमशः रू० 2975+536 तथा रू० 3225+581 के अतिरिक्त प्रीमियम पर प्रस्तुत की है।

इस बीच, हमने आईबीए के साथ उठाया कि बैंकों, टीपीए तथा यूआईआईसी के स्तर पर कर्मचारियों/सेवानिवृत्तों द्वारा सामना की जारी कठिनाईयों और समस्याओं को सुलझाना है ताकि योजना को और अधिक लाभ प्राप्ति के अनुकूल बनाया जा सके।

आईबीए ने यूआईआईसी, टीपीए आदि के साथ इस उद्देश्य के लिए 6 अक्टूबर को एक बैठक के लिए यूएफबीयू को बुलाया है।

हम एक बार पुनः अपनी यूनियनों से अनुरोध करते हैं कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करते समय कर्मचारियों/सेवानिवृत्तों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को हमें बतायें ताकि ये समाधान/सुधार के लिए बैठक में उठाई जा सकें।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह०... सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

समूह मेडीकल बीमा योजना लाभ प्राप्ति/उपयोग का विवरण (17.9.2017 को)

सेवारत कर्मचारी/अधिकारी

शामिल कर्मचारियों की संख्या	3,32,500
शामिल अधिकारियों की संख्या	2,97,800
कुल	6,30,300
आश्रितों सहित कुल शामिल	19,36,500
बैंकों द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम	रु० 767 करोड़
आज तक निपटाये गये/प्रक्रियाधीन दावे	रु० 707 करोड़
नकदीरहित प्रणाली के तहत	रु० 379 करोड़
प्रतिपूर्ति पद्धति के तहत	रु० 229 करोड़
घरेलू उपचार के लिए	रु० 99 करोड़

सेवानिवृत्त (घरेलू उपचार कवर के बिना)

शामिल कुल सेवानिवृत्त	1,04,300
आश्रित सहित कुल शामिल	2,00,300
सेवानिवृत्तों द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम	रु० 134 करोड़
आज तक निपटाये गये/प्रक्रियाधीन दावे	रु० 148 करोड़
नकदीरहित प्रणाली के तहत	रु० 110 करोड़
प्रतिपूर्ति पद्धति के तहत	रु० 38 करोड़

सेवानिवृत्त (घरेलू उपचार कवर के साथ)

शामिल कुल सेवानिवृत्त	89,400
आश्रित सहित कुल शामिल	1,74,800
सेवानिवृत्तों द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम	रु० 149 करोड़
आज तक निपटाये गये/प्रक्रियाधीन दावे	रु० 262 करोड़
नकदीरहित प्रणाली के तहत	रु० 132 करोड़
प्रतिपूर्ति पद्धति के तहत	रु० 54 करोड़
घरेलू उपचार के लिए	रु० 76 करोड़